मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 6 नवम्बर,1997 (कार्तिक 15,1919)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री चरणदास महंत, गृह मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1994-95 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री प्रताप सिंह बघेल, परिवहन मंत्री, रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन एक्ट, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखे वर्ष 1994-95 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(3) श्री शिव नेताम, वन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम का 17 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 1991-92 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, प्रेमनारायण शर्मा, चिरोंजीलाल सोनकर, सदस्य, विदिशा जिले की बेतवा नदी में जल प्रदूषण होने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री चन्द्रप्रकाश बाजपेयी, छतराम देवांगन, श्रीमती करुणा शुक्ला, सदस्य, बिलासपुर एवं रायपुर जिले के अनेक क्षेत्रों में रोगों के प्रकोप से धान की फसल को हो रही क्षति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

" सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बत्तीसवां प्रतिवेदन से सहमत है".

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री प्यारेलाल कंवर, उप मुख्यमंत्री (राजस्व), मध्यप्रदेश वास-स्थान दखलकार (भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 1997 (क्रमांक 36 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(1) प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में ओलावृष्टि एवं अति वर्षा से फसलों की क्षति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

निर्धारित समय 1 घन्टा 30 मि.

(2) प्रदेश में हीरे की उपलब्धता, आंकलन, उत्खनन एवं विक्रय के संबंध में सर्वश्री विक्रम वर्मा, डाकुराम रत्नाकर, नेमीचन्द जैन, सुरेन्द्र वर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, बच्चन नायक, डॉ. गोविन्द सिंह, गिरिराज मण्डलोई, कमल पटेल, धरमू राय तथा श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

1 घन्टा 30 मि.

(3) प्रदेश के अनेक जिलों में कोल माइन्स के उत्खनन कार्य से उत्पन्न समस्या के संबंध में श्री लल्लू सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

के.पी.तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 5 नवम्बर, 1997